पत्रांक-- 6/प.2-06/2014........462

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

आराधना पटनायक,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

आ० वि० स० से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 12/3/15

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत बच्चों को दोपहर में पका हुआ भोजन के अतिरिक्त राज्य योजना बजट से पूरक पोषण हेतु अंडा/फल उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्षेत्रीय उप-योजना में उपबंधित रू. 16,00,00,000/- (सोलह करोड़ रूपये) मात्र, जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना में उपबंधित रू. 21,76,00,000/- (एकीस करोड़ छिहत्तर लाख रूपये) मात्र एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में उपबंधित रू. 2,24,00,000/- (दो करोड़ चौबीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल रू. 40,00,00,000/-(चालीस करोड़ रूपये) मात्र सहायता अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 385, दिनांक 02.03.15 द्वारा बच्चों को दोपहर के भोजन के साथ-साथ उनके पूरक पोषण के लिए राज्य योजना से अंडा अथवा फल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2014-15 में इस योजना को लागू करने हेतु राज्य सरकार ने निम्नांकित सारणी के अनुसार कुल रू. 40,00,00,000/-(चालीस करोड़ रूपये) मात्र की सहायता अनुदान स्वीकृत की है-

शीर्ष	विपत्र कोड	उपबंधित राशि
1	2	3
101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
45-बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना		
06- अनुदान		
79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	59P220201101450679	160,000,000.00
796- जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना		
45-बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना		
06- अनुदान		
79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	59P220201796450679	217,600,000.00
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
45-बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना		
06- अनुदान		
79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	59P220201789450679	22,400,000.00
	कुल-	400,000,000.00

(कुल- चालीस करोड़ रूपये मात्र)

2. योजना का संचालन विभागीय संकल्प संख्या 385, दिनांक 02.03.15 द्वारा निरुपित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा और इसके सुसंचालन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ सुनिश्चित की जायेंगी-

i. पूरक पोषण के अन्तर्गत प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजनार्थ बच्चों को अंडा दिया जायेगा। अंडा के समतुल्य राशि के अनुरुप फल मात्र उन्हीं बच्चों को दिया जायेगा, जो अपने आहार (diet) में अंडा का सेवन कतिपय कारणों से नहीं करते है।

ii. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा, ताकि आम जन योजना से पूर्ण रुप से अवगत हो सकें एवं इसका सही लाभ प्राप्त कर सकें। प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र के साथ-साथ इलेक्ट्रोनिक मिडिया का उपयोग किया जा सकता है।

iii. योजना के क्रियान्वयन एवं इससे मिलने वाले लाभों से आम जनों को अवगत कराने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा एक सैमिनार का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सभी पंचायत प्रतिनिधि के साथ-साथ प्रखण्ड के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

iv. पूरक पोषाहार के रुप में प्रत्येक दिन दिये जाने वाले खाद्य सामग्रियों की सूची सभी विद्यालयों द्वारा सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

v. प्रत्येक दिन उपस्थित छात्रों की संख्या के आधार पर पूरक पोषाहार की संख्या/मात्रा निर्धारित की जायेगी।

vi. योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सरस्वती वाहिनी तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।

vii. प्रधानाध्यापक के साथ-साथ योजना से जुड़े अन्य पदाधिकारियों/कर्मियों का दायित्व प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

viii. झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा थर्ड एजेंसी बहाल कर प्रत्येक छः माह पर योजना का सामाजिक अंकेक्षण/मूल्यांकन किया जायेगा।

3. मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 940 दिनांक 03.04.10 के आलोक में बच्चों को दी जा रही भोजन सामग्री के साथ-साथ उनकी अभिरुचि के अनुसार सप्ताह में तीन दिन अंडा या फल (दोनों में से कोई एक) उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् है-

[illegible]	[illegible]	मॉडल मेनु
1	सोमवार*	दाल, भात, सब्जी, उबला हुआ अंडा/ मौसमी फल (यथा केला, सेब एवं संतरा)
2	मंगलवार	खिचड़ी (चावल, दाल एवं हरी सब्जी का मिश्रण)
3	बुधवार*	सादा वेजिटेबल बिरयानी, अंडा करी/ मौसमी फल (यथा केला, सेब एवं संतरा)
4	[illegible]	नींबू-चावल, सलाद
5	[illegible]*	दाल, भात, [illegible] उबला हुआ अंडा/ मौसमी फल (यथा केला, सेब एवं संतरा)
6	शनिवार	सामान्य खिचड़ी/पालक खिचड़ी

* अवकाश की स्थिति में अगले विद्यालय दिवस को अंडा/फल दिया जायेगा।

4. केन्द्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना का संचालन झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के साथ इस योजना के अभिसरण (convergence) के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरक पोषण योजना का कार्यान्वयन उक्त प्राधिकरण द्वारा ही किया जायेगा।

5. योजना के सुसंचालन हेतु प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार की सहमति से एक विस्तृत मार्ग निर्देश सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्गत किया जायेगा एवं योजना से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मियों का समय-समय पर प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जायेगा।

6. बच्चों को अंडा/फल देने हेतु अधिकतम रू. 4.00 प्रति छात्र प्रति दिन के दर से राशि सरस्वती वाहिनी को उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार प्रति सप्ताह प्रति बच्चा अधिकतम रू. 12.00 की दर से व्यय किया जा सकेगा।

7. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2014-15 में मांग संख्या 59 के अन्तर्गत राज्य योजना बजट "शीर्ष 2202- सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 45-बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना, 06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" विपत्र कोड- **59P220201101450679** से अन्य क्षेत्रीय उप-योजना क्षेत्र के लिए, "शीर्ष 2202- सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 796- जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना, 45-बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना, 06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" विपत्र कोड- **59P220201796450679** से जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना के लिए एवं "शीर्ष 2202- सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 45-बच्चों के लिए पूरक पोषण योजना, 06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" विपत्र कोड- **59P220201789450679** से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए होगा।

8. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, प्राथमिक शिक्षा होंगे। वे राशि की निकासी कर उसे निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट /इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से महालेखाकार, झारखण्ड से प्राप्त प्राधिकार पत्र के आधार पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा की जाएगी।

10. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से, तदनुसार, अनुरोध है कि वे निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पदनाम से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा करेंगे।

11. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा समीक्षोपरांत इसे विभाग को प्रेषित करेंगे।

12. यह स्वीकृत्यादेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

13. इसकी सूचना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

12-3-15

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 8/य.2–06/2014....462.... राँची, दिनांक..12/3/15

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/वित्त विभाग(बजट शाखा)/ निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/विशेष कार्य पदाधिकारी (योजना) प्रशाखा–9/लेखा शाखा, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12-3-15

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।